संख्या-4/2026/ए-1-08-2026 10-31/4/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक 13 मार्च, 2026**

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0- 3/2026/ए-1-08-2026 10-31/4/2022 दिनांक 12 मार्च, 2026 के पैरा-2(i) में वित्तीय स्वीकृतियों को दिनांक 15 मार्च, 2026 तक जारी करने एवं उसके सापेक्ष आवंटन आहरण वितरण अधिकारी तक विलम्बतम दिनांक 20 मार्च तक पहुँचने के निर्देश दिए गये हैं।

उपरोक्त पैरा-2(i) में वित्तीय स्वीकृतियों को दिनांक 15 मार्च, 2026 तक जारी करने के स्थान पर **दिनांक 17 मार्च, 2026 तक** जारी करने एवं उसके सापेक्ष आवंटन आहरण वितरण अधिकारी तक विलम्बतम दिनांक 20 मार्च, 2026 तक पहुँचने के स्थान पर **दिनांक 23 मार्च, 2026 तक** पहुँचना पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या-4/2026/ए-1-08(1)/ दस-2026 10-31/4/2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देर्शित करने का कष्ट करें।
5- उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिग विभाग,भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर 208001
6- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।